

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर
(निर्णय बर्डजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-102/2016/भीलवाड़ा (2016/00044)

1. डालू पुत्र हरीराम, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम चावण्डिया, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 1.7.2015 अपील संख्या 37/2011.

उपस्थित:-

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोडेंट्स अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक:-22.12.2017

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.7.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

- 1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत रेस्पोडेंट के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चावण्डिया, तहसील सहाड़ा में स्थित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की साबिक आराजी नंबर 203/2 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है । बंदोबस्त में साबिक आराजी नंबर 203/2 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर 246 रकबा 0.16 हे०, खसरा नंबर 247 रकबा 0.21 हे०, खसरा नंबर 248 रकबा 0.25 हे०, खसरा नंबर 384 रकबा 0.18 हे०, खसरा नंबर 285 रकबा 0.20 हे०

कुल किता 5 कुल रकबा 1.00 है0 कायम किये गय जबकि हाल खसरा का रकबा 1.08 है0 होना चाहिये था । इस प्रकार इस खसरे में 0.08 है0 की कमी कर दी गयी है जबकि मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । भू-प्रबंध अधिकारियों ने नक्शों में भी मौके की स्थिति से भिन्न नवीन नक्शा बना दिया तथा रकबा कम कर दिया । साबिक नंबर, साबिक रकबे व साबिक नक्शे व साबिक किरम में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार भू-प्रबंध विभाग को नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर साबिक आराजी के रकबे में से कमी की गई रकबा 0.08 है0 की पूर्ति कराई जावे तथा साबिक नक्शे के अनुरूप वर्तमान नक्शे व जमाबंदी में इंद्राज दुरुस्ती कराई जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 1.7.2015 से प्रार्थी/अपीलांत का प्रार्थना अपास्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

- 2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प0 को नोटिस जारी किये गये । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत राजकीय अधिवक्ता का पद रिक्त होने तथा अन्य रेस्प0 के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांत की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx
- 3- अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने भू-राजस्व अधि0 1956 में राजस्व अभिलेख के इंद्राज में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर किस प्रकार से कार्यवाही अमल में लाई जावेगी का भली-भांति अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलांत विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार है । अपीलांत के साबिक आराजी संख्या 203/2 रकबा 5 बीघा का भू-प्रबंध के दौरान कायम किये गये नवीन खसरा नंबरों का रकबा 1.08 है0 बनना चाहिये जिसकी जगह 1.00 है0 ही कायम किया गया है, इस प्रकार नवीन खसरा नंबरान में 0.08 है0 की कमी कर दी गयी है जबकि मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । भू-प्रबंध अधिकारियों ने नक्शों में भी मौके की स्थिति से भिन्न नवीन नक्शा बना दिया तथा रकबा कम कर दिया । साबिक नंबर, साबिक रकबे व साबिक नक्शे व साबिक किरम में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार भू-प्रबंध विभाग को नहीं है । भू-प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी विधिक प्रकिया एवं किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के गैर कानूनी रूप से पूर्व अंकित खसरा नंबर के रकबे को वर्तमान में हाल खसरा में रकबे को कम कर दिया है जो गैर कानूनी है । भूप्रबंध विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही से बाहर जाकर कार्यवाही अमल में लाई गई जिसकी दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित था । अधी0न्याया0 ने रकबा कमी के संबंध में मौका रिपोर्ट भी तलब की थी । उक्त मौका रिपोर्ट में भी रकबे में पूर्व साबिक खसरा नंबर के रकबे व हाल खसरा नंबर के रकबे में परिवर्तन होना माना है परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में रकबे में

हुई कमी को दस्तावेजी साक्ष्यों से राज्य सरकार को सिद्ध करना था किन्तु अधी0न्याया0 ने इसका भार अपीलांट पर डालते हुए निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलांट ने प्रकरण की ताईद में पूर्व साबिक खसरा संख्या की जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल एवं वर्तमान जमाबंदी से यह सिद्ध किया था कि हाल नये खसरा नंबरान में कम रकबा दर्ज किया गया है जो मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट था । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों एवं राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 111, 112, 128, 131 एवं 136 के प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 1.7.2015 अपास्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । xx

- 4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि अपीलांट की खातेदारी की आराजियात ग्राम चावण्डिया, तहसील सहाड़ा में स्थित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की साबिक आराजी नंबर 203/2 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है । हाल बंदोबस्त में साबिक आराजी खसरा नंबर 203/2 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर हाल खसरा नंबर 246 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 247 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 248 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 384 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 285 रकबा 0.20 है0 किता 5 कुल रकबा 1.00 है0 कायम किया गया जबकि साबिक खसरा नंबर के अनुसार हाल खसरा नंबरों का रकबा 1.08 है0 कायम करना चाहिये था । इस प्रकार साबिक से हाल खसरा नंबर कायम करते समय इस खसरे में 0.08 है0 की कमी की गई है । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में साबिक एवं हाल जमाबंदी की प्रतियां, साबिक नक्शा ट्रेस की फोटों प्रति प्रमाणित, जमाबंदी की नकल संवत् 2063 से 2066, हाल नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की थी । अधी0न्याया0 की आदेश की पालना में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 2.7.2015 में जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में हाल रकबे एवं नक्शों में पूर्व साबिक खसरा नंबर के रकबे एवं नक्शा के हाल खसरा नंबरों के रकबेमें परिवर्तन होना माना है । अधी0न्याया0ने अपने निर्णय के विवेचन में यह अंकित किया है कि प्रार्थी/अपीलांट के नाम 0.08 है0 भूमि कम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है, किन्तु उक्त भूमि किस खातेदार या बिलानाम में दर्ज की गयी इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है जिससे प्रार्थी का रकबा बराबर किया जा सके । जब प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट कर दिया था कि अपीलांट के साबिक खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर में 0.08 है0 रकबे की कमी हुई है तो अधी0न्याया0 को चाहिये था कि इस संबंध में पटवारी हल्का से अपीलांट के पडौसी काश्तकारों के साबिक साबिक खसरा नंबर एवं हाल खसरा नंबरों तथा

साबिक एवं हाल खसरा नंबरो में कमी या अधिकता के संबंध में जांच करवा कर मौका रिपोर्ट प्राप्त करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर मात्र इस आधार पर कि इस बाबत कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है प्रार्थी/अपीलांत का प्रकरण निरस्त किया है । अपीलांत की साबिक आराजी से हाल बंदोबस्त के दौरान कायम खसरा नंबरो में कम हुआ रकबा किन खसरा नंबरो में सम्मिलित हुआ है आदि की पुष्टि के संबंध में पटवारी हल्का से अपीलांत एवं पड़ौसी काश्तकारों के साबिक एवं हाल खसरा नंबरो एवं रकबा बरारी करवा कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती थी परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा ऐसा नहीं कर साक्ष्य अभव में प्रकरण को निर्णित किया है जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 1.7.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 102/2016 (2016/00044) बउनवानी डालू बनाम राज0 सरकार को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधी0न्याया0 का प्रकरण संख्या 37/2011 बउनवान डालू बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय दिनांक 1.7.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांत की साबिक आराजियात से हाल बंदोबस्त के दौरान कायम खसरा नंबरो में कम हुआ रकबा किन खसरा नंबरो में सम्मिलित हुआ है आदि पुष्टि के संबंध में पटवारी हल्का अपीलांत व पड़ौसी काश्तकारों के साबित व हाल खसरा नंबरो एवं रकबा बरारी करवा कर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर